



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-378/2022

दिनांक- 12-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

मारपीट में वांछित 02 गिरफ्तार

1. **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-** दिनांक 03.07.2022 को मंगरू पुत्र हरिगुन निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. नरसिंह पुत्र राजकुमार साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. रमेश पुत्र तपशी साकिन अस्पतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी को गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया, जिससे वादी मंगरू उपरोक्त का हाथ टूट गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/2022 धारा 325/504 भादवि वादी मंगरू उपरोक्त बनाम 1. नरसिंह उपरोक्त 2. रमेश उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है वाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 12.11.22 को धारा 325 भादवि का लोप करते हुए धारा 326 भादवि का बढोत्तरी की गयी।

2. **गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 12.11.22 उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. नरसिंह पुत्र राजकुमार साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. रमेश पुत्र तपशी साकिन अस्पतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को जगदीशपुर पुलिस के पास से समय करीब 11.10 बजे अन्तर्गत धारा 326/504 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़ में हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग- 1. मु0अ0सं0 233/2022 धारा 326/504 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरसिंह पुत्र राजकुमार साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. रमेश पुत्र तपशी साकिन अस्पतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय हमराह, थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना - रौनापार

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का आरोपी पिता गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादिनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि वादिनी के पिता ईश्वरचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 10.11.2022 को जबरदस्ती बलात्कार करने व धमकी दिया गया।

इस तहरीर पर मु0अ0सं0 380/22 धारा 376AB/506 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम ईश्वरचन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी-

आज दिनांक 12.11.22 को थानाध्यक्ष रौनापार कौशल पाठक मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर ग्राम बैदौली तिराहे के पास से अभियुक्त ईश्वरचन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 380/22 धारा 376AB/506 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

ईश्वरचन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक मय हमराह थाना रौनापार, आजमगढ़।

थाना सरायमीर, आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी गये सामान (कीमत लगभग 01 लाख रूपये) बरामद व अवैध तमंचा के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना विवरण संक्षेप में-

दिनांक- 08.11.2022 की रात्रि मे ग्राम पंचायत सचिवालय फत्तनपुर मे इनवर्टर, बैटरी , कम्प्यूटर आदि के चोरी होने सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के तहरीरी सूचनां पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.11.2022 को उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह व उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 03 अभियुक्त 1. लौटू मौर्या पुत्र स्व0 रामाश्रय मौर्या सा0 नई बाजार थाना सरायमीर आजमगढ़, उम्र 32 वर्ष 2. शनि कुमार पुत्र विश्राम सा0 हाजिपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ , उम्र लगभग 34 वर्ष 3. दीपक उर्फ रिकू पुत्र स्व0 राधेश्याम सा0 हाजिपुर थान सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र, लगभग 27 वर्ष नहर पुलिया के पास से समय सुबह 08.22 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके निशानदेही पर चोरी की सम्पत्ति भी बरामद हुआ था तथा चोरी की सम्पत्ति खरीदने वाला 4. अभियुक्त विजय कुमार पुत्र हरिलाल निवासी निकामुद्दीन पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ , उम्र लगभग 35 वर्ष को चोरी की सम्पत्ति के साथ गिरफ्तार अन्तर्गत धारा 457/380/411/413 भादवि पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में लौटू मौर्या पुत्र रामाश्रय मौर्या गिरफ्तार हुआ जो थाने स्थानीय का एचएस भी है। जिसके पास से गिरफ्तारी के दौरान एक अदद तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर भी बरामद हुआ है। सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 238/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3/25 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम लौटू मौर्या

आपराधिक इतिहास-

1. लौटू मौर्या (1. मु0अ0सं0 236/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 2. मु0अ0सं0 120/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 3. मु0अ0सं0 08/2021 धारा 60 आ0अधि0 4. मु0अ0सं0 89/21 धारा 60 आब0 अधि0 5. मु0अ0सं0 235/2019 धारा 307 भादवि 6. मु0अ0सं0 20/2019 धारा 60 आब0अधि0 7. मु0अ0सं0 188/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 8. मु0अ0सं0 160/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 9. मु0अ0सं0 426/2013 धारा 3(1) गैगै0 एक्ट 10. मु0अ0सं0 296/2013 धारा 120बी/392/411 भादवी थाना दीदारगंज 11. मु0अ0सं0 441/13 धारा 379 भादवि थाना फूलपुर 12. मु0अ0सं0 238/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना सरायमीर 13. मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3/25 भादवि)
2. शनि कुमार (मु0अ0सं0 238/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि)
3. दीपक उर्फ रिकू (1. मु0अ0सं0 158/22 धारा 60 आब0 अधि0 2. मु0अ0सं0 238/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि)
4. विजय कुमार (मु0अ0सं0 238/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लौटू मौर्या पुत्र स्व0 रामाश्रय मौर्या सा0 नई बाजार थाना सरायमीर आजमगढ़, उम्र 32 वर्ष (HS)
2. शनि कुमार पुत्र विश्राम सा0 हाजिपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ , उम्र लगभग 34 वर्ष
3. दीपक उर्फ रिकू पुत्र स्व0 राधेश्याम सा0 हाजिपुर थान सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र, लगभग 27 वर्ष
4. विजय कुमार पुत्र हरिलाल निवासी निकामुद्दीन पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ , उम्र लगभग 35 वर्ष

बरामदगी -1. यूपीएस 01 अदद 2. इनवर्टर 01 अदद 3. बैटरी 02 अदद 4. 1 मानीटर व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकल टीवीएस-राइडर सम्बन्धित (कुल किमत लगभग 01 लाख रूपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह का0 अतुल सिंह का0 बाबू लाल सोनकर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह का0 राहुल कन्नौजिया का0 मुसाहीद रजा म0का0 शालु सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़